न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी यज्ञ मित्र सिंहदेव आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या 10/2019/प्रार्थना पत्र मुंतकिली

रामनिवास पुत्र शिवभगवान दत्तक पुत्र भैरूराम, जाति ब्राहम्ण, निवासी काछवा, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर (राज.)। प्रार्थी

बनाम

1. लोकेश पुत्र सुभाषचन्द
2. रेखा पुत्री सुभाषचन्द्र

समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण वार्ड नम्बर 18 पालवास रोड़ सीकर जिला सीकर।

3. दीनदयाल पुत्र रामनिवास जाति ब्राहम्ण निवासी काछवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
4. संदीप पुत्र सुभाषचन्द्र
5. सरोजदेवी पत्नी सुभाषचन्द्र

जाति ब्राहम्ण निवासीगण वार्ड नम्बर 18 पलवास रोड़ सीकर जिला सीकर।

6. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रूल्याणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर (राज.)
7. पटवारी हल्का सुटोट तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
8. उपपंजीयक नेछवा जिला सीकर (राज.)।
9. तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर (राज.)।
10. नायब तहसीलदार नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
11. श्री कुलराज मीणा आ. ए. एस. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितः–

1. श्री सांवरमल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री बनवारी लाल शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 5 की ओर से।

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली अन्तर्गत धारा 235 आर.टी. एक्ट

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक : 15 अक्टूबर, 2019

1. प्रार्थी ने प्रा. पत्र मुन्तकिली के तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार अंकित किया है कि :–

(1) अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 3 से 10 के विरूद्व एक नियमित वाद बाबत उदघोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955 मु. नम्बर 47/2018 तथा उसके साथ एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आवेदन संख्या 35/2018 उनवान लोकेश आदि बनाम रामनिवास आदि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) लक्ष्मणगढ़ सीकर के समक्ष प्रस्तुत किये गये, जो आदिनांक तक विचाराधीन हैं। जिनमें आगामी तारीख पेशी 15.04.2019 नियत है।

(2) वादीगण द्वारा उपरोक्त उनवानी वाद भूमियों खसरा नम्बर 454, 455, 456, 457 वाकै ग्राम नासनवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है। वादीगण का मुख्य आधार वादग्रस्त भूमियों को पैतृक कृषि भूमियों बताते हुए अपने हिस्से की उदघोषणा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है। जिसके प्राप्त होने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.04.2019 को जरिये वकील जवाब दावा पेश करवाया तथा साथ ही एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 10 सी. पी. सी. पेश किया गया तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 09.04.2019 को प्रार्थी द्वारा काउन्टर वाद तथा आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 11 रूल 12 तथा सपठित धारा 151 सी. पी. सी. पेश किया पत्रावली उपरोक्त प्रार्थना पत्रों के जवाब व तलबी हेतु आगामी तारीख पेशी 15.04.2019 नियत कर दी गई।

(3) वादग्रस्त भमियों के सम्बन्ध में पूर्व से ही अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा वाद उनवानी सरोज देवी बनाम रामनिवास मु0 नम्बर 41/2018 पेश कर रखा है, जिसके परिपेक्ष्य में प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है।

(4) वादग्रस्त भूमियों पैतृक कृषि भूमियों नहीं होकर प्रार्थी की स्वार्जित भूमियां है तथा प्रार्थी के एकाकी खाते, कब्जे काश्त की कृषि भूमियां है तथा साथ ही वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रार्थी के समस्त वारिसान को पक्षकार भी नहीं संयोजित किया गया है। आवश्यक पक्षकारों के अभाव में भी वाद चलने योग्य नहीं है।

(5) अप्रार्थी संख्या 1 व 2 काफी पंहुच वाला व्यक्ति है तथा वह अपनी काफी राजनैतिक पहुंच रखता है। दिनांक 10.04.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी को खुले आम यह धमकियां दी कि हमारी पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ हो

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

गई है और हम दिनांक 15.04.2019 को ही आपके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सी. पी. सी. व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 सपठित धारा 151 को खारिज करवा कर सभी नियमों को ताक पर रखकर हमारे पक्ष में फैसला करवा लेगें। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की उक्त धमकियों के कारण प्रार्थी के मन में आंशका ही नहीं बल्कि पूर्ण अंदेशा भी हो गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पीठासीन अधिकारी पर नाजायज रूप से दबाव बनाकर प्रार्थी के खिलाफ निर्णय करवा लेगें। जिससे प्रार्थी के हितों पर गम्भीर कुठाराघात होने की सम्भावना उत्पन्न हो गई है।

(6) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उपरोक्त पत्रावलियों में जानबूझकर अन्य पत्रावलियों से भिन्न छोटी तारीखें दी जा रही हैं। पूर्व में तारीख पेशी दिनांक 29.03.2019 से 01.04.2019 नियत की गई तथा दिनांक 01.04.2019 से आगामी पेशी दिनांक 09.04.2019 नियत की गई तथा आगामी पेशी दिनांक 09.04.2019 से 15.04.2019 नियत की गई है। इस प्रकर चार से पांच रोज के अन्तराल की तारीख पेशियां निर्धारित की जा रही है, जिसके कारण से भी प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं है।

(7) प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा पीठासीन अधिकारी के उक्त रवैये से यह आशंका ही नहीं बल्कि पूर्ण अंदेशा हो गया है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी के साथ न्याय नहीं किया जावेगा बल्कि आगामी तारीख पेशी पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सी. पी. सी. व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 सपठित धारा 151 को स्वीकार करवा कर सभी नियमों को ताक पर रखकर अपने पक्ष में फैसला करवा लेगें। इसलिए न्यायाहित में उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकर किया जाकर सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) लक्ष्मणगढ़ सीकर के यहां विचाराधीन दावा संख्या 47/2018 व आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मु0 नम्बर 35/2018 उनवान लोकेश आदि बनाम रामनिवास आदि को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश फरमाने का श्रम करें।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया तथा प्रार्थना पत्र मुन्तकिली के संबंध में पीठासीन अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। वकील श्री बनवारी लाल शर्मा ने अप्रार्थीगण ओर से वकालतनामा पेश किया।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि दिनांक 10.04.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी को खुले आम यह धमकियां दी कि हमारी पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ हो गई है और हम दिनांक 15.04.2019 को ही आपके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सी. पी. सी. व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 सपठित धारा 151 को खारिज करवा कर सभी नियमों को ताक पर रखकर हमारे पक्ष में फैसला करवा लेगें। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की उक्त धमकियों के कारण प्रार्थी के मन में आंशका ही नहीं बल्कि पूर्ण अंदेशा भी हो गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पीठासीन अधिकारी पर नाजायज रूप से दबाव बनाकर प्रार्थी के खिलाफ निर्णय करवा लेगें। अतः आवेदन स्वीकर किया जाकर प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

5. वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस अभिकथन किया कि प्रकरण में कायम मुकाम वाद साक्ष्य इत्यादि होने के पश्चात ही बहस सुनने की स्टेज आती है। प्रार्थी द्वारा कोई ठोस व कानूनी आधार अंकित नहीं किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही नियमानुसार व विधिक प्रकिया को मध्य नजर रखते हुए की गई है। प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप आधारहीन व बेबुनियाद हैं, जिसका कोई साक्ष्य/सबूत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी का एक मात्र उदेश्य प्रकरण को लम्बित रखा जाकर न्यायालय में वाद चलाये रखना है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज करने का आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

6. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा मनघड़न्त, बेबुनियाद गलत तथ्य अंकित किये गये हैं। प्रार्थी का आवदेन सारहीन होने व प्रकरण में येनकेन प्रकारेण लम्बित रखने की मंशा से यह आवेदन पेश किया गया है जो कि खारिज योग्य है फिर भी न्यायालय द्वारा प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश प्रदान करता है, तो उत्तरदाता को कोई आपत्ति नहीं है।

7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने ऐसा कोई ठोस साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे जाहिर होता हो कि पीठासीन अधिकारी प्रकरण में कोई पक्षपात पूर्ण निर्णय किये जाने की सम्भावना हो। इसके अतिरिक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित किया जाता है तो प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होगा।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

8. RRT 730=2007 RRD 795 = 2007 RBJ 399 Laxmi Devi vs. Hari Om& ors.= 2007(1) में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय में यह अंकित किया गया है कि ''मुन्तकिली प्रार्थना पत्र फौरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर निर्णित नहीं किया

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

जाना चाहिए क्योंकि इससे न्यायिक व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है एवं पीठासीन अधिकारी की साख में भी कमी आती है। किसी पक्षकार की आंशका मात्र से यदि प्रकरण मुन्तकिल किया जावे तो अदालतों की विश्वसनीयता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है तो न्याय हित में नहीं कहा जा सकता। बिना ठोस आधार के प्रकरण को एक अदालत से दूसरी अदालत में मुनतकिल नहीं किया जा सकता।''

9. RRT 494 Surta Singh vs. Sugani & ors.= 2007(1) में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय में यह अंकित किया गया है कि ''किसी पक्षकार को यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह असत्य एवं आधारहीन तथ्यों के आधार पर न्यायिक सिद्धान्त का अनुचित लाभ लेते हुए अधीनस्थ न्यायालय पर अनावश्यक आक्षेप लगाये, दबाव डाले एवं न्यायिक प्रकिया में रूकावट उत्पन्न करे। प्रकरण के स्थानान्तरण के लिए मात्र उपधारणा या सम्भव आकांक्षा पर्याप्त आधार नहीं है। पक्षकार के किसी काल्पनिक धारणा के कारण प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।''

10. RRT 213 Kishna & ors. vs. Malki & ors.= 2011-12 (supp.) में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय में यह अंकित किया गया है कि ''प्रार्थीगण ने अपने इन कथनों के समर्थन में कोई स्वतंत्र सपथ पत्र भी पेश नहीं किया। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में अंकित अभिवचन आधारहीन, तथ्यहीन है तथा अवांछित आधार को मान्य करार नही किया जा सकता। पीठासीन अधिकारी के विरूद्व बिना सबूत व आधार के मून्तकिली प्रार्थना पत्र में अभिवचन करना न सिर्फ अवांछित है, बल्कि अनुचित एवं अनैतिक तथा न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचने वाला भी है।''

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र मुन्तकिली **खारिज** किया जाता है।

12. निर्णय आज दिनांकः **15 अक्टूबर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/10/2019

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर, सीकर

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner